सं. 14/1/2009- कल्याण
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(कल्याण अनुभाग)

कमरा सं. 361, तीसरा तल,
लोक नायक भवन,
नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्र सरकार द्वारा शेयर धारण में अधिक हिस्सेदारी वाले केन्द्रीय भण्डार, एन.सी.सी.एफ और अन्य बहु-राज्यीय सहकारी समितियों से लेखन सामग्री और अन्य मदों की स्थानीय खरीद ।

उपर्युक्त विषय पर सभी मंत्रालय/विभाग कृपया कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.7.2007 के का.ज्ञा. सं. 14/12/94- कल्याण (वा.II) का अवलोकन करें । यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 5.7.2007 के का.ज्ञा. की वैधता को 31.3.2010 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) के परामर्श से विचार किया जा रहा था ।

2. दिनांक 5.7.2007 के का.ज्ञा. सं. 14/12/94- कल्याण (वा.II) की वैधता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 31.3.2010 से आगे दो वर्ष की अवधि अर्थात् 31.3.2012 तक बढ़ा दी गई है ।

3. इसे वित्त मंत्रालय व्यय विभाग की सहमति से दिनांक 26.2.2010 की उनकी आई.डी. सं. 8(6)/ई.IIए/2010 के तहत जारी किया जाता है ।

4. इस का.ज्ञा. के सभी विषयों को सभी सम्बन्धितों की जानकारी में ला दिया जाए ।

सुरेशपाल

(सुरेश पाल)
निदेशक और मुख्य कल्याण अधिकारी
दूरभाष : 24625562

(ह० प्र०३०)

प्रति :

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय और अथवा उनके द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित अन्य संगठन ।

(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (श्री एस. कृष्णमूर्ति) अवर सचिव को उनके दिनांक 26.2.2010 के आईडी सं. 8(6)/ई.IIए/2010 के संदर्भ में ।

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. प्रबंध निदेशक,
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता,
सहकारी समिति लि.,
(केन्द्रीय भण्डार), पुष्प भवन,
प्रथम मंजिल,
मदनगीर रोड़, नई दिल्ली – 110062

2. प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ,
पांचवी मंजिल, दीपाली भवन,
92, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019